F.No.1(34)/E.II(A)/2010
Ministry of Finance
Department of Expenditure
E.II(A) Branch
...

North Block, New Delhi
Dated 7th October, 2010.

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Communication of sanction in case where the Secretary of a Ministry/Department approves a proposal by overruling the concerned Financial Adviser..

The undersigned is directed to invite attention to the provisions of Rule 25 of the Delegation of Financial Powers Rules relating to 'Communication of sanctions to Audit' where it has been specified as to how the fact of consultation/concurrence of Ministry of Finance/ Internal Finance is to be incorporated in a sanction.

2. In the above context, the formulation to be used in the event the Secretary of a Ministry/Department approves a proposal by overruling the concerned Financial Adviser, has been examined in this Department on a reference from a Ministry. It has been decided that in cases where the Secretary has over-ruled the concerned Financial Adviser, the corresponding clause to be added to the sanction letter should read as follows:-

" This sanction issues with the approval of the Chief Accounting Authority. The advice of Internal Finance/Integrated Finance was conveyed vide Dy. No./UO No……. Dated…………

3. This issues with the approval of Secretary (Expenditure).

(R.Prem Anand)
Under Secretary to Govt. of India
Tel. 2309 2769

To

Financial Advisers in the Ministries/Departments of Govt. of India

फा.सं. 1 (34)/ई. II (क)/2010
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
संस्था - II (क) शाखा

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक 07 अक्तूबर, 2010

कार्यालय ज्ञापन

विषय: मंत्रालय/विभाग के सचिव द्वारा संबंधित वित्तीय सलाहकार की सलाह को अस्वीकार करके प्रस्ताव को अनुमोदित करने के मामलों में संस्वीकृति संसूचित करना ।

अधोहस्ताक्षरी को 'लेखापरीक्षा संबंधी संस्वीकृतियों, की संसूचना के संबंध में वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन संबंधी नियमावली के नियम 25 के उन उपबन्धों की ओर ध्यान आकर्षित कराने का निदेश हुआ है जिनमें यह विनिर्दिष्ट किया गया है कि वित्त मंत्रालय/आंतरिक वित्त के परामर्श/सहमति संबंधी तथ्य को संस्वीकृति में किस प्रकार समाहित किया जाएगा ।

2. उपर्युक्त संदर्भ में, मंत्रालय/विभाग के सचिव द्वारा संबंधित वित्तीय सलाहकार की सलाह को अस्वीकार करके प्रस्ताव को अनुमोदित करने की स्थिति में उपयोग में लाए जाने वाले सूत्र की मंत्रालय से प्राप्त संदर्भ में इस विभाग में जांच की गई है । यह निर्णय लिया गया है कि उन मामलों में, जहां सचिव ने संबंधित वित्तीय सलाहकार की सलाह को अस्वीकार कर दिया है, वहां संस्वीकृत पत्र में जोड़ी जाने वाली संगत धारा को इस प्रकार पढ़ा जाए :-

" यह संस्वीकृति मुख्य लेखा प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी की जाती है । आंतरिक वित्त/एकीकृत वित्त की सलाह डा. सं./यू.ओ. सं. ....दिनांक..........................के द्वारा सूचित की गई ।"

3. यह सचिव (व्यय) के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

आर. प्रेम आनंद

(आर. प्रेम आनंद)
अवर सचिव, भारत सरकार
☎ 2309 2769

सेवा में,

भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों में वित्तीय सलाहकार ।